न्यायालय–मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सतना, जिला–सतना (म.प्र.)

कमांक–   /25   सतना, दिनांक : 02.04.2025

(आदेश)

मैं, **प्रवीण कुमार सोंधिया**, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जिला–सतना (म.प्र.) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत **माह–अप्रैल–2025** की अवकाश अवधि में अत्यावश्यक दाण्डिक कार्य सम्पादन हेतु नीचे वर्णित न्यायिक मजिस्ट्रेट की ड्यिुटी उनके समक्ष अंकित तिथि के लिये लगाता हूँ। उक्त तिथियों में तहसील न्यायालयों के संबंधित न्यायिक मजिस्ट्रेट, न्यायालय कक्ष में सायं 3:00 बजे से 5:00 बजे के मध्य उपस्थित होकर अत्यावश्यक दाण्डिक कार्य एवं रिमाण्ड कार्य सम्पादित करेगे : –

क.	रिमाण्ड कार्य करने वाले न्यायिक मजिस्ट्रेट का नाम	माह–अप्रैल
1	2	3
तहसील–अमरपाटन		
1	श्री बृजेश कुमार राजपूत	6, 10, 13, 14
2	सुश्री शालिनी उईके	18, 19, 20, 27
तहसील–नागौद		
1	श्री राजीव पटेल	
2	श्री वैभव पटेल	06, 10, 13, 18
3	श्रीमती शिमोना सिंह कुल्हार,	14, 19, 20, 27
तहसील–मैहर		
1	श्रीमती भानू पंडवार	10, 13, 14,
2	श्री उदयजीत कुंवर राव	06, 27
4	सुश्री निशा रघुवंशी	18, 19, 20
तहसील–उचेहरा		
1	सुश्री शबाना खान,	समस्त

नोटः–

1– कार्यालय माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश सतना (म.प्र.) के विविध आदेश क्रमांक–64/चार–1–1/2013/14 सतना, दिनांक–24.06.2014 अनुसार सार्वजनिक अवकाश दिवसों में प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय सतना के आपराधिक प्रकरणों में गिरफ्तार व्यक्तियों को रिमाण्ड ड्यिूटी में उपस्थित न्यायिक अधिकारी के समक्ष पेश किया जायेगा।

2– पुलिस अधीक्षक, सतना से अपेक्षा है कि वे अपने अधीनस्थ प्रत्येक थानों पर यह निर्देश प्रसारित करें कि अवकाश अवधि पर रिमाण्ड एवं आवश्यक कार्य लेकर हर हालत में सायं 3:00 बजे तक आवश्यक रूप से प्रस्तुत करें।

3– न्यायिक मजिस्ट्रेट रिमाण्ड डियूटी होने पर आवश्यक कार्य आ जाने पर अवकाश लेने की स्थिति में अन्य न्यायिक मजिस्ट्रेट से आपसी सहमति बनाकर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को सूचना देते हुए रिमाण्ड डियूटी परिवर्तित कर सकेंगे।

4– सार्वजनिक अवकाश होने की दशा में रिमाण्ड के दौरान संबंधित न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा रेप विक्टिम के कथन (अंतर्गत धारा–164 द.प्र.सं.) लेखबद्ध किये जायेगे।

5– अचानक अवकाश घोषित होने पर माह अप्रैल 2025 में संबंधित तहसील मुख्यालय में उपस्थित वरिष्ठ न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी आवश्यक कार्य एवं रिमाण्ड सम्पादित करेंगे।

6– तहसील न्यायालय रामपुर बाघेलान एवं चित्रकूट में न्यायाधीश के अवकाश/स्थानांतरण पर रहने पर जिला मुख्यालय सतना में एवं तहसील न्यायालय उचेहरा में न्यायाधीश के अवकाश पर रहने

पर मुख्यालय मैहर में रिमाण्ड ड्यूटी पर उपस्थित न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी आवश्यक कार्य एवं रिमाण्ड सम्पादित करेंगे।

7— अवकाश अवधि में संबंधित मजिस्ट्रेट द्वारा रिमाण्ड ड्यूटी के दौरान प्रोटोकाल का कार्य भी सम्पादित करेंगे अथवा उसमें सहयोग करेंगे।

नोटः— तहसील रामपुर बाघेलान एवं चित्रकूट की रिमाण्ड ड्यूटी आदेश संबंधित न्यायिक अधिकारियों के ज्वाइन होने के उपरांत पृथक से जारी किया जाएगा।

sd/-
(प्रवीण कुमार सोंधिया)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
सतना (म.प्र.)

पृष्ठांकन कमांक–43(2)/25 सतना, दिनांक : 02.04.2025

प्रतिलिपिः—

1— माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय जिला–सतना (म.प्र.) की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

2— पुलिस अधीक्षक सतना/मैहर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

3— सिस्टम अधिकारी, जिला एवं सत्र न्यायालय सतना (म.प्र.) को आदेश की प्रति सभी उल्लेखित न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी एवं पुलिस अधीक्षक, सतना को ई–मेल के माध्यम से भेजने हेतु प्रेषित।

(प्रवीण कुमार सोंधिया)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
सतना (म.प्र.)